न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 41 / 2024

वाद पत्र अं0 धारा 88 / 53 आर.टी.ए.

1. मेजर सिंह
2. गुरमीत सिंह
3. कुलदीप सिंह

} पुत्रगण अजमेर सिंह जाति कुम्हार निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम्

1. अजमेर सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति कुम्हार निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा ढाबां (विलोप्ति)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

श्री सुरेन्द्र सिंह सूच – वकील वादीगण

श्री संजय सहू – वकील प्रति.सं. 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय **दिनांक :–24.5.2024**

वादीगण मेजर सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन के तहत दिनांक 14.02.2024 को इस न्यायालय में पेश किया यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रकिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया हैं। कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 01 एक ही सयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता है वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र हैं। कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक नं. 1 बीजीपी के खाता सं. 02 / 02 जं.सं. 2072–2075 खाता में 2.590 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित भूमि में वादीगण का प्रतिवादी सं. 01 के बराबर बहिब हक व हिस्सा जन्म से बनता हैं। प्रतिवादी सं. 01 ने उक्त भूमि का त्याग वादी सं. 01 के पक्ष में 0.639 है0 व वादी सं. 02 के पक्ष में 0.807 व वादी सं. 03 के पक्ष में 1.144 है0 कर दिया हैं व प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावें व प्रतिवादी सं. 1 ने कृषि भूमि अन्य खाता में प्राप्त कर ली हैं। उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने अच्छी मंदी अनुसार घरू–विभाजन कर लिया था मुताबिक घरू–विभाजन वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ कोई विवाद नहीं हैं किन्तु खाता विवादित होने के कारण ट्यूबवैल कनैक्शन, पानी डिग्गी आदि की सुविधा लेने में परेशानी [illegible] घरू–विभाजन वादीगण अपना खाता अलग कायम करवाने के अधिकारी व दावेदा[illegible] वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण [illegible] अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दे[illegible] प्रतिवादीगण पहले तो टाल–मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। कि प्रतिवादी स. 2 के पक्ष में [illegible] रहन होने के व प्रतिवादी सं. 3 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। की वादपत्र बाबत घोषणा व तकसीम खाता का है जो 2/– रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावें। कि प्रतिवादी सं. 01 ने उक्त भूमि का त्याग वादी सं. 01 के पक्ष में 0.639 है0 व वादी सं. 02 के पक्ष में 0.807

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.30 16:11:42
Reason: SelfAttested

व वादी सं. 03 के पक्ष में 1.144 है0 कर दिया हैं व प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावें।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से सहमति का जबाव दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार राजस्व सगरिया का जबाव दावा प्रस्तुत हुआ हैं जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अं. आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया उक्त रकबा रहनमुक्त होने के कारण प्रतिवादी सं. 2 का नाम विलोप्ति किये जाने हेतू निवेदन किया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नाम विलोप्ति किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादीगण हेतू अवसर दिया गया। वादी सं. 2 ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। तथा जमाबन्दी चक नं. 1 बीजीपी के खाता सं. 02/02 जं.सं. 2072–2075 खाता में 2.590 है0 नहरी कृषि भूमि प्रदर्श की गई जो प्रदर्श 1 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावें। कि प्रतिवादी सं. 01 ने उक्त भूमि का त्याग वादी सं. 01 के पक्ष में 0.639 है0 प्रतिवादी सं. 02 के पक्ष में 0.807 व वादी सं. 03 के पक्ष में 1.144 है0 कर दिया हैं व प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावें। प्रतिवादीगण के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादीगण के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादीगण की ओर से कुल 1 प्रदर्श किये गए बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि वादीगण का खाता वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जाती हैं व वादी सं. 01 को 0.639 है0 व वादी सं. 02 को 0.807 व वादी सं. 03 को 1.144 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता हैं।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.05.30 16:11:4
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सगरिया